

संख्या-1639/151131/91-4(34)/91

1639/15(13)/91-4(34)/91

प्रेषक,

आजीक गांगुली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

लेटररी
सेन्ट्रल बोर्ड आफ लेक्चररी रजिस्ट्रार,
2/19, संत विहार अंतराष्ट्रीय रोड,
हरियाणा, नई दिल्ली ।

शिक्षा 1131 अनुभाग

तख्त: दिनांक 31 अगस्त, 1991

विषय:- होम स्केडमी भोगपुर, देहरादून को अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुझे यह बताने का निदेश हुआ है कि होम स्केडमी भोगपुर देहरादून को सेन्ट्रल बोर्ड आफ लेक्चररी रजिस्ट्रार, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने हेतु इस राज्य सरकार के निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन अनापत्ति नहीं है:-

1क। सामान्य प्रतिबन्ध :

- 11। विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 12। विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान भेदावी, पिछड़े एवं निर्बल आय वर्ग के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे तथा उनके उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद/वैदिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 13। संस्था को राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा ।
- 14। संस्था के सभी अध्यापक/अध्यापिकाएँ प्रशिक्षित होंगी । संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय तहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमान्य वेतनमानों तथा अन्य शर्तों से कम वेतनमान एवं अन्य शर्तें नहीं दिये जायेंगे ।
- 15। राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, उनका पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा ।
- 16। विद्यालय में अनुशासन तथा शिक्षा का स्तर उच्च कोटि का रखा जायेगा ।

131 विशेष प्रतिबन्ध :

111 विद्यालय की प्रबन्ध समिति रजिस्टर्ड होगी तथा समय-समय पर नियमानुसार उसका मीनीकरण भी कराया जायेगा ।

121 विद्यालय में प्रत्येक कक्षा व अनुभाग के लिए उचित आकार के कक्षा-कक्ष दो वैकल्पिक विषय कक्ष, दो प्रयोगशाला कक्ष तथा चार प्रशासनिक कक्ष की व्यवस्था की जायेगी ।

131 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्तक लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

141 विद्यालय का लेखा जोखा निर्धारित प्रपत्रों/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबन्ध/शर्तों को तोताइटी की नियमावली में स्पष्ट रूप से समावेश किया जायेगा तथा उन शर्तों/प्रतिबन्धों को तोताइटी की नियमावली में समावेश किये जाने की सूचना तथा उसकी पुष्टि में तैयार किया गया नियमावली की प्रति राज्य सरकार को इस आदेश के जारी होने के छः माह के भीतर उपलब्ध कराया जायेगा । नियमावली के उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

3- उक्त शर्तों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की कोई सूक्ष्म या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनामति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

। श्रीक गुग्गुली ।
उप सचिव ।

संख्या: 1639/11/151131/91 तददिनांक

प्रतिलिपि विमर्शित को सूचना एवं आचार्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

111 शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, शिक्षा सा0-21 अनुभाग, इलाहाबाद ।

121 निरीक्षक, अंगन भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

✓ 131 प्रबन्धक, होम स्कूल, भीमपुर, देहरादून ।

141 सहायक उप शिक्षा निदेशक, पंजी ।

151 जिला विद्यालय निरीक्षक, देहरादून ।

आज्ञा नं. 31.2.91
। श्रीक गुग्गुली ।
उप सचिव ।